रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222511
CG-DL-E-16102020-222511

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
No. 522] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 642(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित, धारा 26, धारा 27 की उप-धारा (1), धारा 28, धारा 29, धारा 31 की उप-धारा (2), धारा 39 की उप-धारा (3) तथा (4), धारा 40 की उप-धारा (6) और धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के, नियम 14 के, उप-नियम (1) के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को किन्हीं प्रतिभूतियों के प्रस्थापन अथवा आमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे क्रेताओं के लिए सभी आबंटनों के संबंध में वर्ष में केवल एक बार पूर्ववर्ती विशेष संकल्प पारित करती है।"

[फा. सं. 1/21/2013-सीएल-V-भाग]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 251(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किए गए: -

(1) अधिसूचना सं. सा.का.नि 424(अ) तारीख 30 जून, 2014 द्वारा;

(2) अधिसूचना सं. सा.का.नि 430(अ) तारीख 07 मई, 2018 द्वारा;

(3) अधिसूचना सं. सा.का.नि 752(अ) तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा;

(4) अधिसूचना सं. सा.का.नि 853(अ) तारीख 10 सितंबर, 2018 द्वारा;

(5) अधिसूचना सं. सा.का.नि 43(अ) तारीख 22 जनवरी, 2019 द्वारा;

(6) अधिसूचना सं. सा.का.नि 130(अ) तारीख 19 फरवरी, 2019 द्वारा; और

(7) अधिसूचना सं. सा.का.नि 376(अ) तारीख 22 मई, 2019 द्वारा।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

G.S.R. 642(E).—In exercise of the powers conferred by section 26, sub-section (1) of section 27, section 28, section 29, sub-section (2) of section 31, sub-sections (3) and (4) of section 39, sub-section (6) of section 40 and section 42 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, in rule 14, in sub-rule (1), after third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that in case of offer or invitation of any securities to qualified institutional buyers, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year for all the allotments to such buyers during the year.".

[F. No. 1/21/2013-CL-V-Part]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended:-

(1) *Vide* notification number G.S.R. 424(E), dated the 30th June, 2014;

(2) *Vide* notification number G.S.R. 430 (E), dated the 7th May, 2018;

(3) *Vide* notification number G.S.R. 752 (E), dated the 7th August, 2018;

(4) *Vide* notification number G.S.R. 853 (E), dated the 10th September, 2018;

(5) *Vide* notification number G.S.R. 43 (E), dated the 22nd January, 2019;

(6) *Vide* notification number G.S.R. 130 (E), dated the 19th February, 2019; and

(7) *Vide* notification number G.S.R. 376(E), dated the 22nd May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA